निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 602/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

श्रीमती श्यामा देवी उर्फ सीमा देवी पत्नी स्व. श्री यज्ञदत्त शर्मा, आयु 68 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासिनी 03, कुम्हारों का मोहल्ला, नांगल जैसा बोहरा, निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम, जिला जयपुर।
2. श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री रमेश चंद शर्मा,
3. श्री अजय कुमार पुत्र स्व. श्री नन्दकिशोर शर्मा,
4. श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी श्री अटल शर्मा,
5. श्री रमेश चंद शर्मा पुत्र स्व. श्री नन्दकिशोर शर्मा,
6. श्रीमती सुधा देवी पत्नी श्री मोहन लाल शर्मा,
   समस्त जाति ब्राह्मण, निवासीगण 03 व 04, कुम्हारों का मोहल्ला, नांगल जैसा बोहरा, निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर।
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 42/2025 व–उनवानी श्रीमती श्यामा देवी उर्फ सीमा देवी बनाम संतोष देवी व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थित:-

1. श्री कृष्ण कुमार पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मुदित सिंघवी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से।

निर्णय दिनांक 18.09.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 42/2025 व–उनवानी श्रीमती श्यामा देवी उर्फ सीमा देवी बनाम संतोष देवी व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अभिभाषक श्री मुदित सिंघवी ने उपस्थित होकर वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में लंबित उक्त प्रकरण के अंतर्गत वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण मौके पर अपने हिस्सेनुसार

जिला कलक्टर
जयपुर

काबिज काश्त होकर अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात पक्षकारान के संयुक्त कब्जे व खातेदारी की आराजीयात है तथा सभी पक्षकारान ने पूर्व मे ही प्रार्थिया के पति की मौजूदगी मे आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया था तथा उसी के अनुसार आदिनांक तक मौके पर काबिज काश्त होकर उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है, परंतु विधिवत रूप से व राजस्व रिकॉर्ड मे उक्त विभाजन का अमल दरामद नहीं हो रखा है। इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए प्रार्थिया को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की नीयत से निर्माण करने की चेष्टा की गई। प्रार्थिया के पति के देहावसान के उपरांत अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को आए दिन हैरान व परेशान करते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरण में स्थगन आदेश यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पूर्व में एक वाद प्रस्तुत हुआ था, जो कि अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया था, इस कारण से स्थगन आदेश दिया जाना उचित नहीं है, जबकि प्रार्थिया अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कानूनन अवगत कराया गया कि अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किए गए प्रकरण से नवीन वाद के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वाद में प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्रार्थिया को सुने बिना ही बहस हेतु नियत कर दिया गया, जिससे पीठासीन अधिकारी की मंशा स्पष्ट होती है कि जिस तरह से स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज किया, उसी तरह से वाद को भी खारिज कर दिया जाएगा। अप्रार्थी संख्या 4 जो कि प्रार्थी की जेठानी है एवं उनके पति अटल शर्मा काफी प्रभावशाली व्यक्ति है, जबकि प्रार्थिया एक विधवा महिला है। अप्रार्थी संख्या 4 के द्वारा प्रार्थिया को यह कहा गया कि पीठासीन अधिकारी हमारे रिश्तेदार है तथा उन्होने हमे यह आश्वस्त किया है कि जिस प्रकार स्थगन आदेश खारिज किया गया है, उसी प्रकार वाद भी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानानुसार खारिज कर दूंगी। जिससे प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध है।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रस्तुत मदवार जवाब में भी प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में लंबित प्रकरण के निस्तारण को टालने एवं संपत्ति को अटकाने हेतु यह प्रार्थना पत्र दायर किया गया है। प्रार्थिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में 10 तारीख पेशियां होने के उपरांत जवाब पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने मुंतकिल प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढ़न्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। मुंतकिल प्रार्थना पत्र को खारिज करने का अनुरोध किया है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया

7. सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन

सहायक कलक्टर
जयपुर जिला

जिला कलक्टर
जयपुर

में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी के केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 18.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर